न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 190/2019 **निर्णय दिनांक :–28.11.2024**

उनवानी दावा:

अन्तिमा पंवार पत्नि गणेशकुमार जाति दरोगा उम्र वर्ष निवासी चांदथली तहसील सावर जिला अजमेर राज0

–वादीया–

बनाम

1. अजयसिंह पुत्र भंवरसिंह शक्तावत जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी हनुमान नगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0
2. सत्यनारायण पुत्र फत्तालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी अम्बापुरा कॉलोनी तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. आशुतोष पुत्र रामनिवास शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. भागचन्द पुत्र पोखरमल जाति जाट निवासी शिव कॉलोनी कुचलवाड़ा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0
5. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0
6. लक्ष्मी हाडा पत्नी मोरमुकुट सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र बालिग निवासी पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीया

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
श्री पंकज वर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 26.02.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार देवली से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांकः– भू. अ./2447 दिनांक 30.07.2024 से प्राप्त हुई।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया।

प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिसको अधिवक्ता वादी द्वारा नो ऑब्जेक्शन करने से स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सीपीसी पेश किया जिसको अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपति पेश नहीं किये जाने से स्वीकार किया गया।

28.11.2024

2019 उनवान अन्तिमा पंवार बनाम अजय सिंह वगै.

.8.11.2024

उक्त दोनो प्रार्थना पत्र स्वीकार हो जाने से संशोधित शीर्षक व संशोधित पेश किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार कर पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया और अन्तिम डिकी जारी करने की प्रार्थना की।

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट कमांकः– भू. अ./2447 दिनांक 30.07.2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 3 ख. नं. 228 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से दावा स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा खाता संख्या 3 ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली में हिस्सा निम्नानुसार **रहेगाः–**

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	अन्तिमा पत्नी गणेश कुमार जाति दरोगा सा. चान्दवली तह. सावर जिला अजमेर खातेदार नक्शा में हरे रंग से दर्शित	228/1	0.2525	बा. 2	1.01
	योग	किता–1	0.2525	बा. 2	1.01
2.	लक्ष्मी हाडा पत्नी मोरमुकुट सिंह जाति रावणा राजपूत सा. देह खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी बैंक लिमि. शाखा देवली नक्शा में गुलाबी रंग से दर्शित	228/2	0.2525	बा. 2	1.01
		किता–1	0.2525	बा. 2	1.01
3	भागचन्द पुत्र पोखरमल हि. 1/2 जाति जाट सा. शिवकॉलोनी खातेदार अजयसिंह पुत्र भंवरसिंह हि. 1/6 जाति राजपूत सा. हनुमाननगर खातेदार आशुतोष पुत्र रामनिवास हि. 1/6 जाति ब्राहम्ण सा. देवली खातेदार सत्यनारायणस पुत्र फतालाल हि. 1/6 जाति ब्राहम्ण सा. अम्बापुरा खातेदार	228/3	0.5050	बा. 2	2.02
		किता–1	0.5050	बा. 2	2.02

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे तथा वादीया के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न

28.11.2024

करे । राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। …लदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली